उपायुक्त का कार्यालय, (जिला कल्याण शाखा), धनबाद।

अति अल्पकालीन पुर्ननिविदा

निदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 1660 दिनांक 07.06.2017 के आलोक में धनबाद जिले के कल्याण विभागीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय भेलाटॉड़ गोविन्दपुर में रसोइया सह सेवक के 02 पद एवं अनुसेवक का 03 पद कुल 05 पदों के लिए कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित भोजन मिनू के अनुसार रसोई बनाने एवं कार्यालय अनुसेवी के कार्यो का सम्पादन हेतु आउट सोर्सिंग (बाह्य सेवा) के माध्यम से नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक निविदादाता मोहरबंद लिफाफा में निविदा दिनांक 04.01.2018 को 12.00 बजे अपराह्न तक जिला कल्याण शाखा धनबाद में दे सकतें हैं या निबंधित डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त पुर्ननिविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। पुर्ननिविदा उसी दिन क्रय समिति के सदस्यों के बीच उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में 4.00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता **www.dhanbad.nic.in** से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर निविदा जमा करेंगें।

ह0/–
उपायुक्त,
धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय, (जिला कल्याण शाखा), धनबाद।

पुर्ननिविदा हेतु आवश्यक शर्ते निम्नाकित है:–

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा में क्रमांक 2 से 9 तक की सामग्री एक सीलबंद लिफाफे मे देना होगा।
2. प्रत्येक निविदा–दाताओं को अपने निविदा के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से 15000.00 (पन्द्रह हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित जमा करना होगा।
3. वितीय तीन वर्षो का आयकर रिटर्न, टेन नम्बर, पैन कार्ड एवं तीन वर्षो का ऑडिट रिपोर्ट देना होगा।
4. निविदा दाता को काली सूची मे नाम नही रहने का नोटरी सपथ पत्र देना होगा।
5. निविदा दाता को सभी प्रकार का कर सम्मिलित कर प्रतिमाह का दर देना होगा।
6. **GST NUMBER** के साथ देना होगा।
7. निविदा दाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान से केटरींग/हाउस किपींग का न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
8. फर्म से संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।
9. विद्यालयों में निर्धारित (मिनू) के अनुसार भोजन बनाने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुसेवक के लिए साईकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए।
10. निविदादाता को वित्तीय निविदा में अनुसेवक पद पर कार्य करने वाले का मासिक दर एवं रसोईया के पद पर कार्य करने वाले का मासिक दर अलग–अलग दर्शाते हुए सीलबंद लिफाफे में देना होगा।
11. तकनिकी निविदा योग्य पाये जाने पर ही वितीय निविदा खोला जाएगा।
12. स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. विभागीय निदेश के आलोक में किसी भी समय निविदा को समाप्त किया जा सकता है।
14. कल्याण विभाग रांची द्वारा बाह्य सेवा के मद में आवंटन प्राप्त होने के पश्चात हीं भुगतान किया जाएगा।
15. निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द या एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ता को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त,
धनबाद।

Oder